

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

सेवा में,

पत्रांक- 3043 / 12-1(2)

दिनांक - 03-01-2024

अधिशाली अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,

रानीखेत।

विषय - जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है0 वन भूमि वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/150404/2021)

सन्दर्भ - भारत सरकार का पत्रांक 08B/UCP/06/05/2023/FC/974 दिनांक 20.10.2023 एवं आपका पत्रांक 4099 / 36सी0 दिनांक 27.10.2023

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति सशर्त निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुसार जमा की जाने वाली धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है-

1. ईको-क्लास श्रेणी	=	Vth
2. हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.4 (40%)
3. एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	1292850.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	1.68
5. कुल देय एन0पी0वी0(शर्त सं0 5क) की धनराशि (रुपये)	=	2171988.00
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर	=	448791.00
7. क्षतिपूरक वृक्षारोपण(शर्त सं0 3क) की धनराशि(3.36है0)	=	1507938.00
8. कुल जमा की जाने वाली धनराशि (रू0 में)	=	3679926.00

कुल जमा की जाने वाली धनराशि (रुपये में) 3679926.00(छत्तीस लाख उनासी हजार नौ सौ छब्बीस रुपये) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

पत्रांक 3043 / 12-1(2) दिनांक 03-01-2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित।

AE-I / Ameen

Wp 06.01.24

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।